Notification

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :– प.3 (119)नविवि/3/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 12 JUN 2012

परिपत्र

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 2007 एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) में सम्मिलित क्षेत्रों/ड्राफ्ट मास्टर प्लान में सम्मिलित क्षेत्रों/पैरीफेरी क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.011.2010 एवं 18.02.2011 एवं राजस्व विभाग द्वारा जिला कलक्टर्स को लिखे गये पत्र क्रमांक एफ.6(6)राज–6/92पार्ट/4 जयपुर दिनांक 01.04.2011 के क्रम में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :–

वर्तमान में 184 स्थानीय निकायों में से 145 के मास्टर प्लान अंतिम रूप से अधिसूचित किये जा चुके है और ड्राफ्ट मास्टर प्लान में जो क्षेत्र सम्मिलित था उसके सम्बन्ध में भी समस्या का स्थायी हल हो चुका है।

1. राजस्थान नगर विकास न्यास अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के तहत प्रकाशित किसी भी नगरीय निकाय के ड्राफ्ट मास्टर प्लान में सम्मिलित नवीन गांव/ग्रामीण क्षेत्र एवं पैरीफेरी बैल्ट में स्थित कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुमति देने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी और इस बाबत् देय सम्पूर्ण राशि में से राज्य की संचित निधि व सम्बन्धित जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/परिषद/पालिका के कोष में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात में राशि जमा करवायी जावे।

2. राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम,1959 की धारा 3 (1) में अधिसूचित क्षेत्र में भी धारा 90–ए के तहत कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुमति देने हेतु की गयी कार्यवाही के पेटे प्राप्त राशि में से राज्य की संचित निधि व सम्बन्धित जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/परिषद/पालिका के कोष में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात में राशि जमा करवायी जावे।

3. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–ए (9) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार जिन शहरों में मास्टर प्लान या प्रारूप मास्टर प्लान

नहीं बने है वहाँ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पैरीफेरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र (अरबन ऐरिया) की श्रेणी में आयेगा। अतः इस पैरीफेरी क्षेत्र में भी कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु अनुमति धारा 90–ए के तहत प्रदान की जायेगी। अनुमति प्रदान करने के समय टाउनशिप पॉलिसी 01.01.2000 अथवा नयी टाउनशिप नीति 2010 जो भी लागू हो के अन्तर्गत निर्धारित व समय–समय पर संशोधित बाह्य विकास की राशि सम्बन्धित नगरीय/स्थानीय निकाय में जमा करायी जावेगी।

4. उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में राजस्व विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ. 6(6)/राज–6/92पार्ट/4 जयपुर दिनांक 01.04.2011 को प्रत्याहारित किया जाता है।

(डा.मालोविका पवार)
प्रमुख शासन सचिव,
राजस्व विभाग

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव,
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण प्राधिकरण।
9. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
11. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
12. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को समस्त नगरीय निकायों में सर्कुलेट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
13. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव